

झारखंड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 7/6/07 /

संख्या-2/वि1-72/06 शि0..... 90 / झारखंड अधिविद्य परिषद संशोधित अधिनियम 2006 की धारा (4) (1) में प्रख्यापित प्रावधान के अन्तर्गत विधि (विधान) विभाग, झारखंड, राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-एल0 जी0-9/2002-06/लेज 1, दिनांक-15.02.07 के आलोक में अधोलिखित सदस्यों से यक्त झारखंड अधिविद्य परिषद का गठन किया जाता है :-

(क) उपाध्यक्ष :- डा0 अब्दुल सुभान, पूर्व प्रधानाचार्य, माण्डर कॉलेज, माण्डर, राँची ।

(ख) पदेन सदस्य :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, राँची ।
2. निदेशक, झारखंड शिक्षा अनुसंसाधन एवं प्रशिक्षण परिषद ।

(ग) 1. एक वर्ष के लिए चक्रानुक्रम में झारखंड राज्य के विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि-श्री भिक्टर तिग्गा, राँची विश्वविद्यालय, राँची ।

2. माध्यमिक विद्यालय का एक प्राचार्य :- सिस्टर सोसन बाड़ा, प्राचार्य, संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय, राँची ।

3. उह ख्याति प्राप्त विद्वानुसंगी :-

- I. श्री गणेश पासवान -चन्दवा, लातेहार ।
- II. प्रोफेसर तेजु तिग्गा- व्याख्याता, माण्डर कॉलेज, माण्डर, राँची ।
- III. डा0 परमानन्द महतो- विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग ।
- IV. श्रीमती दयामनी बारला -राँची ।
- V. श्री मो0 आरिफ हसन - ब्राम्बे, राँची ।
- VI. डा0 अशोक कुमार सिंह- प्राचार्य, मांगीलाल रुंगटा +2, विद्यालय, चाईवासा ।

4. पन्द्रह वर्षों का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव प्राप्त संस्कृत के विद्वान - श्री बिरसा हंस, पूर्व प्राचार्य, एस0 एस0 मेमोरियल कॉलेज, राँची ।

5. पन्द्रह वर्षों का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव प्राप्त अरबी/फारसी/उर्दू के विद्वान - प्रो0 सज्जाद, अवकाश प्राप्त प्राचार्य, राँची विश्वविद्यालय, राँची ।

6. झारखंड विधान सभा के तीन माननीय सदस्य :-

- I. श्री मनोज यादव ।
- II. श्री रविन्द्र महतो ।
- III. श्रीमती अन्नापूर्णा देवी ।

7. प्रख्यात एवं अनुभवी शिक्षाविद्य - प्रो0 अशोक कुमार सिंह, वी0 एन0 जलान कॉलेज, सिसई, गुमला ।

8. +2 विद्यालय/इन्टर कॉलेज का एक प्राचार्य - श्रीमती शिखा प्रसाद, प्राचार्या,
+ 2 मारवाड़ी स्कूल, रॉची ।

2. झारखंड अधिविद्य परिषद अधिनियम 2002 की धारा - 4 की उपधारा (3) के आलोक में अध्यक्ष एवं पदेन सदस्य के अतिरिक्त परिषद के अन्य सदस्यों की पदावधि राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त अथवा शासकीय अधिसूचना निर्गत की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(जे0 टोप्पो)

(मनोज)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 873 / रॉची, दिनांक 7/6/07 /

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची/महालेखाकार, झारखंड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अधीक्षक, सचिवाल मुद्रणालय से अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर इसकी 200 प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

ह0/-

(जे0 टोप्पो)

ज्ञापांक 873 / रॉची, दिनांक 7/6/07 /

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, झारखंड, रॉची/विकास आयुक्त, झारखंड, रॉची/आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रॉची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/ नवगठित झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष, सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-

(जे0 टोप्पो)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 873 / रॉची, दिनांक 7/6/07 /

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, झारखंड अधिविद्य परिषद, रॉची/ कुलपति एवं कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित ।

(जे0 टोप्पो)

सरकार के संयुक्त सचिव ।